न्यायालय जिला कलेक्टर एंव प्रथम अपील अधिकारी ,टोंक

प्रकरण संख्या 39 / 2019

कमाल हुसैन पुत्र नज़र मौहम्मद निवासी ताल कटोरा सोहराब खां की हवेली सना क्लिनिक टोंक जिला टोंक राज0

——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक जिला—टोक

——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 18.12.2019**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक जिला टोक को आवेदन पत्र दिनांक 05.10.2019 प्रेषित/प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

जनाब नजर मोहम्मद पी0पी0ओ0 नम्बर 870037 पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट सीनियर टीचर सेकेण्ड्री एजूकेशन सेवा निवृति दिनांक 30—6—2006 इसमें निम्न सूचना देवें।

1 With DR as per Rules, FD Order No. F 13 (2) FD (Rules) क्या है इसका लिखित पत्रावली में विवरण देवें।

2 29.09.2007 को commuted Pension 2425/-Rs थी। 22.303.2010 में commuted Pension 2425/- रूपये था, यह अन्तर क्यों आया और यह अन्तर कब तक रहा ब्यौरा देवें।

3. 29.09.2007 से लेकर आज दिनांक तक कुल कितनी राशि commuted पेंशन में काटी गयी है इसका पूर्ण ब्यौरा देवें।

4. संतवा वेतन आयोग लागू होने के बाद कितना लाभ पेंशनर्स को दिया गया इसका लिखित में ब्यौरा देंवे।

5. दिनांक 2016 से आज दिनांक तक कुल एरियर्स कितनी राशि के है वो पेंशनर्स कितने किश्तो में दिया जाना है इसका सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करावें।

6. पेशनर्स की मेडिकल डायरी क्रमांक 0158062 के अनुसार पेंशनर्स को मिलने वाले मेडिकल लाभ कौन—कौन से है। कितनी राशि इसमें पेंशनर्स को मिलती है इसका विरण उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी को सूचना प्राप्त नहीं होने पर प्रत्यर्थी कोषाधिकारी टोंक के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक से अपीलान्ट को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध मे जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोक ने उनके पत्र कमांक 885 दिनाक 3–12–2019 से अवगत करवाया है कि अपीलान्ट को पत्र कमांक कोष/सि.पे/2019–20/825 दिनांक 06–11–2019 के द्वारा जवाब भिजवाया जा चुका है। न्यायालय हाजा में प्रस्तुत जवाब की प्रति भी आवेदक को सूचनार्थ भिजवादी गई है। अपील मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(के0के0 शर्मा)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2019.12.27 16:32:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: